

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण
विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1-



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

Addendum-1

मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ के अन्तर्गत “डिजिटल काउंटर के क्रय” हेतु जारी किए गए कोटेशन आमंत्रण HQ-01/MGD-1/LKO/2018-19 दि. 20/07/2021 की अंतिम तिथि को दिनांक 03/08/2021 तक विस्तारित किया जाता है | कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि दि.03/08/2021 समय 14:00 बजे तक तथा कोटेशन खोलने का समय उसी दिन 15:00 बजे रहेगा | अन्य नियम व शर्तें कोटेशन आमंत्रण सूचना के अनुसार रहेंगी |

संलग्नक:-कोटेशन आमंत्रण सूचना |

(आशीष अवस्थी)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:

1. लेखानुभाग, मध्य गंगा मण्डल—प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
2. सूचनापट्ट, मध्य गंगा मण्डल—प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
3. केन्द्रीय जल आयोग, वेबपोर्टल www.cwc.gov.in.



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

पत्रांक: मु0-02/मगंम-1/लख/2021-22/

दिनांक: 20.07.2021

कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार मध्य गंगा मण्डल-1, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ के अन्तर्गत स्थलों पर प्रयोग होने वाले **डिजिटल काउंटर के क्रय** हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित फर्म संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी कोटेशन बन्द लिफाफे में दिनांक 27.07.2021 को अपराह्न 02:00 बजे तक जमा करा सकती हैं। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे इच्छुक कोटेशन दाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेंगी।

सामान की सूची एवं विशिष्टियां संलग्न विवरण के अनुसार।

नियम एवं शर्त:-

1. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फर्म के लेटर पैड पर ही होनी चाहिए।
2. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
3. दी गई दरें सभी करों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए होनी चाहिए।
4. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
5. कोटेशन में दर्शायी गयी दरें 90 दिन तक लागू होगी इस मुद्दे पर किसी कोटेशन दाता की चुप्पी उस की इस शर्त से सहमति मानी जायेगी।
6. सभी सामान विशिष्टियों के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी होने के 30 दिनों के अन्दर पूरा करना अनिवार्य होगा।
7. आपूर्ति पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) दो प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान PFMS द्वारा के माध्यम से किया जायेगा।
8. शर्तों के साथ भेजे गये कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
9. आपूर्ति आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
11. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाल कोटेशन को स्वीकार न ही किया जाएगी।
12. फर्म GST पंजीकृत होनी चाहिए एवं GST संख्या कोटेशन में दर्शायी गयी होनी चाहिए।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(आशीष अवस्थी)

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:

1. लेखानुभाग, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
2. सूचनापट्ट, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
3. केन्द्रीय जल आयोग, वेबपोर्टल www.cwc.gov.in.
4. केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल www.eprocure.gov.in



Schedule of Supply**Name of supply:-Supply of Digital Counters under MGD-1, CWC, Lucknow**

S.No.	Description of items	Qty.(Nos.)	Rate (In figure)	Rate (In words)	Amount(Rs.)
1	Digital Counters (Presetable Revolution & Time Counter which are used for velocity measurement alongwith current meters)	21 Nos.			
Total Amount					

Note:-The above quoted rates should be inclusive of all charge & GST.

Amount in Figure:-

Amount in Words:-

Signature with stamp:-